आज का दिन 1874 में मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम कार शुरू हुई।

" अगर आप भी कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी परेशानियों से घिरे हुए है, तो आज ही लीजिए, आयुर्वेदिक पेट सफा गोल्यूल्स। यह पहले दिन से असर दिखाता है, मुंह में चिपकता नहीं और इसकी आदत भी नहीं बनती। "

मोर्निंग होगी मस्त क्योंकि पेट सफा है जबरदस्त

Safe for daily use | No Side Effect | No added Sugar

पेट सफा... तो हर रोग दफा

24x7 Helpline: 0171-3055233 • www.petsafa.com • Available at all medical and general stores

Dr. Juneja's पेट सफा

Natural Laxative Granules & Tablets

जस्टिस एके सीकरी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में छठे नंबर पर हैं, मंगलवार को इस मामले पर हुई लंबी बहस

छठी वरीयता के जज के आदेश पर बनी संविधान पीठ

महाभियोग

कोर्ट रूम लाइव: लंबी चली बहस

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ भेजने का आदेश जस्टिस एके सीकरी ने दिया था। जस्टिस सीकरी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में छठे नंबर पर हैं।

सर्वोच्च अदालत के उच्च सूत्रों के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने रेमेडियल कदम के की यह शंका अस्थायी रूप से जस्टिस सीकरी को दे दी थी, क्योंकि विवादित याचिका में उठाया गया मुद्दा खुद उनके ही विरुद्ध था। यह सवाल पहले ही उठाया जा चुका था कि मामला मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ है इसलिए वह लिटिगेंट के लिए इसे कोर्ट नहीं सकते। वहीं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यह शंकित दुखे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के वरिष्ठ जजों जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ को नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये जज मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ 12 जनवरी को प्रेसवार्ता कर चुके थे। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण मसले अपनी पसंद की बेंचों को आवंटित करते हैं और वरिष्ठ जजों की अनदेखी करते हैं।

इसलिए जब कांग्रेस सांसदों की यह याचिका सोमवार को जस्टिस जे चेलमेश्वर के यहां उल्लेखित की गई तो मुख्य न्यायाधीश ने शाम को ही इस याचिका को सूचीबद्ध करने की शक्ति जस्टिस सीकरी को दे दी। जस्टिस सीकरी ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया और मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करवा दिया। पीठ में उन्होंने रखर के साथ दावों नंबर तक के जजों जस्टिस बोब्डे, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस जस्टिस मिश्रा और जस्टिस गोयल को रखा।

पीठ के गठन की यह सूचना सोमवार को सात बजे शाम को सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट पर डाल दी गई।

कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज करने के उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई।

10:30 बजे सुबह

कपिल सिब्बल : मैं मामले की सुनवाई से पहले कुछ मिनट सिद्धांतों पर बात करना चाहता हूं।

वकील आरती लूथरा : सिब्बल इस मामले में पेश नहीं हो सकते। क्योंकि बीसीआई का नियम है कि जो लोग जजों के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर सहमत करने वाले होंगे वे पेश नहीं हो सकते।

जस्टिस सीकरी : यह हम सिब्बल पर छोड़ते हैं यदि वे चाहें तो बहस करें या नहीं।

अटार्नी जनरल : मैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ओर से पेश हो रहा हूं।

तुषार मेहता: मैं केंद्र सरकार की ओर से बहस करूंगा।

सिब्बल: हमें न्याय और सुविधा के बीच संतुलन बनाना होगा। हमें कानून की प्रक्रिया को संरक्षित करना है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है बस अपेक्षा है कि संवैधानिक सिद्धांतों को दिमाग में रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं हम उन्हें चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि रोस्टर की यह शक्ति निरंकुश है, इसपर कुछ अनुशासन होना चाहिए। क्या मुख्य न्यायाधीश का आदेश संविधान में अंतिम आदेश है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा यह कानून का सही प्रस्ताव नहीं है।

जस्टिस सीकरी : हमने मुख्य न्यायाधीश की रोस्टर के संबंध में शक्तियों पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, इस पर बहस न करें।

अटार्नी जनरल : इस बारे में कुछ संवैधानिक पीठों के फैसलों का जिक्र करना चाहूंगा।

सिब्बल : लेकिन बेंच गठित करने के आदेश प्रशासनिक हैं न्यायिक नहीं। जबकि सीआर है कि न्यायिक आदेश से ही संविधान बेंच का गठन किया जाता है। यह मामला किसने रेफर किया यह पहली बार हुआ है।

सीकरी : लेकिन याचिका में यह मुद्दा नहीं है

सिब्बल : नहीं, मुझे इस आदेश की कापी चाहिए जिससे पीठ का गठन किया गया है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि उसे चुनौती दी जा या नहीं।

सीकरी : लगता है कि आप याचिका के गुणदोष पर बात नहीं करना चाहते। आप यह आदेश मांग रहे हैं जिसके आधार पर संविधान पीठ बनी है।

जस्टिस बोब्डे : संविधान पीठ को चुनौती नहीं दी जा सकती।

सिब्बल : तो बताएं हम क्या करें।

जस्टिस सीकरी : बहुत विचित्र स्थिति है, सीजेआई इस मामले में पार्टी हैं शेष चार वरिष्ठ जजों की भी कोई न कोई भूमिका है। हमें यह शक है यह पत्र लगा कि याचिका पर सुनवाई करनी है।

सिब्बल : यह अजीब है। हमें याचिका का डायरी नंबर भी नहीं मिला और याचिका संविधान पीठ के समक्ष लग गई। हमें सुबह 10:29 सूचना दी गई।

सीकरी : सूची तो शाम सात बजे ही वेबसाइट पर डाल दी गई थी। आप याचिका पर बहस करें।

अटार्नी जनरल : इस मामले में संविधान पीठ के सीधे फैसले (एआरबी बोहरा 1995) हैं कि मामला सीधे बड़ी बेंचों को भेजा जा सकता है। मेरी यह आपत्ति भी है कि यह मामला विचारणीय नहीं है। क्योंकि प्रस्ताव देने वाले सभी सांसद यहां नहीं आए हैं। मेरी राय में कम से कम 50 फीसदी सांसदों को इस मामले में कोर्ट आना चाहिए।

वकील अश्वनी उपाध्याय : सिब्बल इस मामले में बहस नहीं कर सकते। क्योंकि वह सांसद हैं उन्हें महाभियोग चलाने की शक्ति प्राप्त है।

जस्टिस सीकरी और मिश्रा : कोर्ट में इस तरह से हलचलें मत कीजिए क्या आपको वकील को बहस करने से रोकने की शक्ति हासिल है।

सिब्बल : लेकिन माईलार्ड, बेंच गठन करने का यह आदेश न्यायिक नहीं है।

जस्टिस सीकरी : देखिए अनुच्छेद 145 (संविधान पीठ के गठन पर) इस बारे में चुप है, इसका मतलब है कि अब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है।

जस्टिस मिश्रा : आपके हिसाब से यह संविधान पीठ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपको याद होगा जस्टिस चेलमेश्वर ने संविधान पीठ का गठन किया था।

सिब्बल : लेकिन यह न्यायिक आदेश था। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है।

जस्टिस सीकरी : आप कहते हैं कि कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपका इरादा कुछ और है।

बोब्डे : आपने बेंच गठन के आदेश की प्रतिलि के लिए कोई अर्जी दी है।

सिब्बल : नहीं, लेकिन ऐसा है तो मैं अपनी याचिका वापस लेना चाहता हूं।

अटार्नी जनरल : सिब्बल ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया है।

सिब्बल : क्या शेष सांसदों ने उन्हें बताया कि वह याचिका में शामिल नहीं है। मैं अटार्नी जनरल को संतुष्ट करने के लिए शेष सांसदों का अधिकार पत्र लाकर दिखा दूंगा।

जस्टिस सीकरी : आप मेरिट पर बहस करेंगे।

सिब्बल : नहीं, मुझे आदेश चाहिए, मैं याचिका वापस ले रहा हूं।

11:45 बजे सुबह

जस्टिस सीकरी : तौबा है असुनवी है, इस याचिका को वापस लिया जानाबहस खारिज किया जाता है।

(बेंच उठ गई)

आदेश की कॉपी मिलने के बाद अगला कदम : सिब्बल

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के बाद कपिल सिब्बल अब प्रशासनिक आदेश की कॉपी मिलने का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस बारे में अगला कदम उठाएंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि हमने सोमवार को याचिका दायर की थी। हम चाहते थे कि इस पर सुनवाई हो। सोमवार शाम हमें पता चला कि हमारी याचिका पर पांच न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। ऐसे में हमें यह जानने का हक है कि पांच न्यायाधीशों की पीठ बनाने का फैसला किसने किया। यह कब और किस आधार पर किया गया। उन्होंने कहा कि हमसे नोटिस की मेरिट पर बहस करने को कहा गया पर जब तक प्रशासनिक आदेश की कॉपी नहीं मिलेगी जब तक हम कैसे बहस कर सकते हैं।

भाजपा के इस मामले का राजनीतिकरण करने के आरोपों पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है। पर हम न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

कवायद

- हमें जानने का हक, न्यायपीठों की पीठ बनाने के फैसले किसने किया
- आदेश की कॉपी न मिलने तक हम कैसे कर सकते हैं बहस

प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में कांग्रेस सांसदों की याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को खारिज किए जाने के चंद घंटे बाद जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत संविधान पीठ के गठन से संबंधित प्रशासनिक आदेश की जानकारी मांगी है।

मुर्गियों को एंटीबायोटिक की मार से बचाएगी सहजन

केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉ दिव्या और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजीव कुमार मोरिया (सहजन) लीफ पाउडर के बारे में जानकारी देते हुए • हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान नेटवर्क

बरेली | मृत्युंजय मिश्र

केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई) के वैज्ञानिकों ने बंदर ट्री के नाम से मशहूर मोरिंगा (सहजन) की पत्तियों से ऐसा फूड सप्लीमेंट बनाया है जो वृद्धि के लिए दिए जाने वाले एंटीबायोटिक की जगह लेगा। यह तेजी से भार बढ़ाने में कारगर है। खास बात यह है कि इससे मुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। यही नहीं, एंटीबायोटिक सेवन मुर्गों का मीट खाने से इंसानों में भी एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा भी नहीं होगा।

एंटीबायोटिक का प्रयोग चूजों के आहार में किया जाता है। यह पाया गया था कि थोड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक चूजों के वजन बढ़ाने में कारगर है। हालांकि इसके लगातार प्रयोग के कारण मुर्गों में एंटीबायोटिक के अंश बचे रहते।

फायदा देखने के लिए बनाए चार ग्रुप

डा. दिव्या और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. असीम किशोर ने गेंदे के फूल का अर्क, रेजमेरी, वासा, लहसुन, अदरक और सहजन पर काम शुरू किया। इसमें सहजन पत्तासहजन सबसे बेहतर मिली। डॉ. दिव्या ने बताया कि सहजन में 24 प्रतिशत प्रोटीन होता है। दूध से सात गुना कैल्सियम, गाजर से पांच गुना ज्यादा विटामिन मिलता है।

एंटीबायोटिक खाने वालों से बेहतर रहे सहजन वाले

2018 में इसे परिणाम आना शुरू हुआ। शोध कर्मी की मीटिंग में भी सहजन का सलाह लिया। एंटीबायोटिक वाला खाना खाने और सहजन की पत्तियों का पाउडर मिला खाना खाने वाले चूजों की वृद्धि बराबर रही। रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा कम हो गई। एंटीआक्सीडेंट की मात्रा एंटीबायोटिक वाले चूजों से ज्यादा रही।

कुल चारे का केवल 2% हो सहजन का पाउडर

केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि मोरिंगा लीफ पाउडर की दी मात्रा तय की गई है यह 2 प्रतिशत है। चार सूची पर अलग अलग शोध के बाद यह मात्रा निकाली गए हैं कि 100 किलो चारे में 2 किलो सहजन की पत्तियों का पाउडर मिलाकर खिलाना चाहिए। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या से निपटने का एक सबसे तरीका है।

मतभेद का फायदा उठाना चाह रही कांग्रेस: जेटली

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस न्यायालय में मतभेद का फायदा उठाना चाहती है और इस मुद्दे पर हास्यास्पद राजनीति कर रही है।

जेटली ने फेसबुक टिप्पणी में कहा, न्यायालय में मतभेद को देखते हुए कांग्रेस संकट का फायदा उठाना चाहती है। यदि महाभियोग प्रस्ताव में ही कोई दम नहीं था तो उसको खारिज करने वाले राज्यसभा के सभापति के आदेश को चुनौती देने वाली नए याचिका के पक्ष में कोई तर्क नहीं बनता। जेटली ने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकार करने या नहीं करने के राज्यसभा चेयरमैन के निर्णय को न्यायालय की समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है। कांग्रेस संकट का लाभ उठाना चाहती है। इसलिए उसने मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ की मांग का उल्लेख अपने पसंद की पीठ में करने की रणनीति अपनाई।

दादरा एवं नागर हवेली में पहला मेडिकल कॉलेज खुलेगा

टाना | एजेंसी

केंद्र शासित क्षेत्र दमन-दीव एवं दादरा और नागर हवेली (डीएनएच) में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है।

दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 189 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कॉलेज दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा में बनाया जाएगा और यह शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से काम करना शुरू कर देगा।

24 फरवरी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन-दीव और दादरा एवं नागर हवेली के लोगों से वादा किया था। उसी वादे के मुताबिक केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की मंजूरी प्रदान की। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अधिकारी हर तीन महीने में कॉलेज की प्रगति की जांच करेंगे।

ग्राहक घबराएं नहीं इसलिए कीमतें थामने का फैसला किया : संजीव

नई दिल्ली। इंडियन आयल कारपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने तेल की कीमतों को अस्थायी तौर पर स्थिर रखने का फैसला किया है ताकि ग्राहकों में घबराएं नहीं।

सरकारी तेल कंपनियों ने कर्नाटक चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल के दामों को दैनिक समीक्षा का फैसला रोकने के बीच आईओसी ने यह बात कही है। तेल कंपनियां 24 अप्रैल से पेट्रोलडीजल के दाम में बदलाव नहीं कर रही हैं, जबकि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में मानक मूल्यों में करीब तीन डालरप्रति बैरल की तेजी आई है। सिंह ने संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में वृद्धि जारी रहती है, कीमत बढ़ेगी।

मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी औपचारिक जैसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय से की गई पीएचडी को औपचारिक परंपरागत विधि से प्राप्त पीएचडी के बराबर माना जाए।

जस्टिस एसए बोब्डे और एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह आदेश कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पीएचडी को लेक्चरर आदि के पदों के लिए बराबर का माना जाए। यूजीसी ने 2013 में सभी विधि से पीएचडी के मानक बनाए हैं।

2040 तक मधुमेह के मरीज दोगुने होंगे

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

दुनिया में सबसे अधिक डायबिटीज मरीजों वाले देश में सुधार लाकर देश में वर्ष 2040 तक मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 12.3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपी गई भारत में विकास एवं स्वास्थ्य पर स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट 'अ रोडमैप टू इंडियाज हेल्थ' में यह दावा किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में डायबिटीज से निपटने के लिए अविलंब रणनीति बनाने की अनुशंसा भी किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल देश में करीब 7 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं। यह संख्या अगले 22 वर्षों में बढ़कर 12.3 करोड़ हो जाएगी। अभी ही डायबिटीज के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर 1230 अरब रुपये से लेकर 1837 अरब रुपये तक का खर्च हर साल आता है।

ऐसे में दो दशक बाद इस पर आने वाला खर्च अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी की तुलना में डायबिटीज का खर्च देखें तो भारत में यह 2.1 फीसदी है, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड और चीन से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज से प्रभावित 50 फीसदी लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, क्योंकि उन्होंने कभी जांच ही नहीं कराई है।

वहीं, जिन 50 फीसदी लोगों को पता है कि उन्हें डायबिटीज है, उनमें से भी आधे लोग इसका इलाज नहीं कराते। इस प्रवृत्ति की वजह से डायबिटीज पर नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। वालिंटियर हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक मुखोपाध्याय के समन्वय वाले इस आयोग में कुल पूर्व स्वास्थ्य सचिव, एम्स के पूर्व निदेशक, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व कुलपति शामिल थे।

रिपोर्ट

- उप-राष्ट्रपति को सौंपी गई स्वतंत्र आयोग की एक रिपोर्ट से खुलासा
- रिपोर्ट में दावा फिलहाल देश में करीब 7 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं

मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएन L34101HR1988PLC029094

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री : 9-11, मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) फोन: +91-124-4760000 फैक्स: +91-124-2341308

ई-मेल: jpgata@munjalshowa.net वेबसाईट: www.munjalshowa.net

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, 2015 की विनियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **बुधवार, 30 मई, 2018** को आयोजित की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, कम्पनी के 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लाभांश आदि पर आवंश की अनुशंसा पर विचार हेतु अभिलेख की तारीखें।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.munjalshowa.net एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

मंडल के आदेश से
मुंजाल शोवा लिमिटेड हेतु
हस्ता /-
सौरभ अग्रवाल
कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 08 मई 2018

सं. ई.आई.-डी/पी (ए) 9/12-11/2017

ई. आर. नेट इंडिया

(इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्ती सोसायटी)
पंचम तल, ब्लॉक-1, 'ए' विंग,
पीएमजी भवन, आईटी पार्क, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

वॉक-इन-इंटरव्यू

"इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के आवेश 50 विशेषज्ञ कार्मिकों में से 5 कार्यस्थल इंजीनियरों को स्थायित करना" परियोजना के अंतर्गत अनुबंध आधार पर एक वीएम परियोजना अभियंता एवं दो परियोजना अभियंताओं की नियुक्ति हेतु उपरोक्त अंकित पदों में 11.05.2018 को 10.00 बजे एक वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित होगा। विस्तार हेतु कृपया ई.आर.नेट इंडिया की वेबसाइट www.ernet.in देखें। उम्मीदवार उपरोक्त अंकित दो पदों कई विभिन्न अंकों के अनुसार इंटरव्यू हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

ह./-
परियोजना एवं निदेशक (पी एंड ए)

रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ मंडल, मेरठ छावनी

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रायफल रेंज, विजय नगर, गाजियाबाद, जो कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की भूमि है इस भूमि पर बने अनाधिकृत निर्माण एवं अनाधिकृत कब्जेदारों को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से इस भूमि पर काबिज हैं वे स्वयं अपने स्तर पर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की भूमि को खाली कर दें, अन्यथा इस कार्यालय द्वारा अनाधिकृत निर्माण एवं अनाधिकृत कब्जों को निगमानुसार हटाया जाएगा जिसके हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी अनाधिकृत निर्माण कर्ता एवं अनाधिकृत कब्जाधारी की होगी।

रक्षा सम्पदा अधिकारी
मेरठ मंडल, मेरठ छावनी

भारतीय पैकेजिंग संस्थान
Indian Institute of Packaging

ADMISSIONS OPEN FOR 2018-2020

TWO - YEAR FULL TIME POST GRADUATE DIPLOMA IN PACKAGING

Eligibility: Fresh Graduate in Science (12th +3 years degree - entire 5 years in science only), with Physics, Chemistry, Mathematics, Microbiology or Bio-Chemistry as the main subject or one of them as second subject in the 3 Years Degree or Agriculture / Food Science / Polymer Science/ Pharma or Engineering / Technology Degree of a AICTE / recognized University with minimum second class and maximum age 30 years as on 31/05/2018, age relaxation 3 years for OBC and 5 years for SC / ST.
Students awaiting the result may also apply.

Admission: Through Entrance Examination at Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Delhi.
Application Forms available at all the centres of IIP.

Entrance Exam on 14th June, 2018.

Last date for receiving filled application forms: 5th June, 2018.

Hostel Facility: Separate Hostel accommodation for Boys and Girls is available at Mumbai only.

Job Prospects: Excellent, in Food, Pharma, Polymer including MNC'S and other Companies in India and Overseas. Over 5,000 Alumni are working in Industries in India and Abroad.

Application form along with Prospectus can be obtained from any IIP Centre/ Website of Indian Institute of Packaging by paying Rs. 500/- only by cash or DD in favour of "Indian Institute of Packaging" payable at respective Centres of IIP.

Candidates can visit IIP website and submit application form through online www.iip-in.com

Further details, please contact: HEAD OFFICE & IIP CENTRES

IIP CENTRES : NEW DELHI: Plot No. 21, Functional Industrial Estate, Patparganj, Opp. Patparganj Bus Depot, Delhi-110092. Tel : 011-22166703 - 05 Email: "podelhi@iip-in.com;
KOLKATA: Block CP, Sector V, Salt Lake, Bidhan Nagar, Kolkata-700 091. Tel : 033 - 23670793, 23676016. Email : ripkolkata@iip-in.com; **HYDERABAD:** Lux-3, Industrial Centre, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018. Tel: 040 - 23814321. Email: iphyd@iip-in.com; **CHENNAI:** Plot No. 188, Industrial Estate, Perungudi, Chennai - 600 096. Tel: 044-24961077 / 24961560. Email: ipchennai@iip-in.com; **AHMEDABAD:** 1st Floor, CFC Building, Appareli Park, GIDC, Khokhra, Ahmedabad 380021. Tel. : +91-79-22930200

HEAD OFFICE:
E-3, Road No. 8, MIDC Area, Andheri (E), Mumbai - 400 093. INDIA
Tel: 91-22-2821 9893 / 8751 / 8469, 28381988, 28329623, 2835 4631
Extn. 310, 302, 304 & 305, Fax: 91-22- 28326119 / 2837 3302, Mob. 7045602461
Email: tnsiip1@iip-in.com, onlinepgdp@iip-in.com, rnsiip@iip-in.com,
Web: www.iip-in.com

निविदा संख्या: 3/10/2018-एमआईएस/ (विज्ञापन सं0. 15/2018)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
(भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त न्यास)
सेन्ट्रल विस्टा मैस, जनपथ, नई दिल्ली-110001

परियोजना कर्मचारियों की भर्ती अनुबंध के आधार पर

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र अनुबन्ध के आधार पर एक वरिष्ठ परियोजना सहयोगी एवं एक परियोजना सहयोगी के पद की भर्ती करना चाहता है।

साक्षात्कार (**वाक इन इंटरव्यू**) दिनांक **11/5/2018** को **प्रातः 11:00 बजे** प्रोजेक्ट निदेशक 'मौसम' के कक्ष में, द्वितीय तल, 11, मानसिंह रोड नई दिल्ली-110001 में किया जाएगा। (नजदीकी मेट्रो स्टेशन, केन्द्रीय सचिवालय, गेट नं0.2)।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे मूल प्रमाणपत्रों के साथ सत्यापन हेतु **प्रातः 10:00 बजे** रिपोर्ट करें।

पूरा विवरण हमारी वेबसाइट **www.ignca.gov.in** पर उपलब्ध है।

निदेशक (प्रशासन), इं.गा.रा.क. केन्द्र